न्यायालय श्री ए0एच0 गौरी, आर0ए0एस0, उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

प्रकरण अपील संख्या : 11/2018

पदमसिंह पुत्र छोगसिंह जाति राजपूत निवासी सेवडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुख्यालय कोलायत — रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :– 1. श्री रामचंद्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी।
2. श्री दामोदरदास व्यास पैरोकारराज, राज्य की ओर से निर्णय

निर्णय

दिनांक :– 09–05–2018

प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत आज्ञा विरूद्ध उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मुकाम कोलायत दिनांक 30–8–2017 एवं 22–2–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 14–3–2018 को प्रस्तुत की गई हैं।

(2) संक्षेप में अपील प्रकरण से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के नाम ग्राम सेवडा मे कृषि भूमि अपीलांट की भूमि के पास ही ग्राम सेवडा मे खसरा नंबर 965 में 115 बीघा भूमि आराजीराज हैं जो पूर्व मे अपीलांट की भूमि थीं। जो सीलिंग एक्ट के तहत राजकीय भूमि घोषित की गई। सीमाज्ञान के अभाव मे काश्त कर ली गई जिस पर न्यायालय तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत द्वारा अतिक्रमी मानकर दिनांक 30.8.17 को 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया हैं जो कानून एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(3) अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.8.17 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की। जो अपील सं0 9/17 दिनांक 29.9.17 को आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि पश्चात्वर्ती अतिक्रमण को प्रमाणित करने हेतु साक्ष्य लिए जाकर अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(4) न्यायालय हाजा मे निर्णय की पालना मे अपीलांट ने दिनांक 10.11.2017 को ही राजकीय भूमि का कब्जा छोडने का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय समक्ष पेश कर दिया तथा शास्ति एवं तमाम राजकीय राशि जमा कराने के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 6.10.17 को जरिये चालान फसल नीलाम के 24350/–रूपये तथा तावान के 575/–रूपये खजानाराज मे जमा करवा दिये गये। फिर तावान राशि 790/–रूपये और निकाले गये उक्त राशि भी दिनांक 11–1–2018 को जमा करवा दी गई। वर्तमान मे किसी प्रकार की कोई राशि बकाया नही हैं। अपीलांट ने सीमाज्ञान के अभाव मे उपरोक्त राजकीय भूमि काश्त की हैं तथा जान बूझकर राजकीय भूमि पर कब्जा करने की नियत से काश्त नही की हैं। अज्ञानतावश वर्ष राजकीय भूमि काश्त की हैं जिसका ज्ञान होते ही अपीलांट ने कब्जा छोड दिया हैं तथा तावान राशि व राजकीय राशि जो भी थीं खजाना राज जमा करवा दी और किसी प्रकार का कोई बकाया नही हैं। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर कब्जा छोडने के बाद भी तथा राशि खजानाराज जमा करवाने के बाद भी तथा भविष्य मे राजकीय भूमि पर कब्जा काश्त नही करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर भी तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत ने 22–2–18 को आदेश पारित कर पूर्व

आदेश दिनांक 30–8–17 को यथावत रखते हुए अपीलांट को 3 माह के कारावास से दण्डित किया हैं जो सरासर कानूनन एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे कथन किया हैं कि अपीलांट आदतन अतिक्रमी हैं जबकि अपीलांट ग्राम सेवडा का कदीमी मूल निवासी है तथा उसके नाम से ग्राम सेवडा मे मिसल बंदोबस्ती कृषि भूमि हैं और अतिक्रमण वर्ष 2073–74 मे अतिक्रमण कर राजकीय भूमि काश्त की हैं जबकि अपीलांट ने राजकीय भूमि का कब्जा छोड दिया हैं फिर भी अपीलांट को 3 माह के कारावास से दण्डित कर अपीलांट के साथ न्याय नही किया जाकर कठोर रूप से दण्डित किया गया हैं। जिससे आदेश अधीनस्थ न्यायालय भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नही होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। पटवारी हल्का की रिर्पोट दिनांक 21–2–18 के अनुसार उक्त राजकीय भूमि खाली हैं जिससे यह साबित होता हैं कि अपीलांट ने राजकीय भूमि का कब्जा छोड दिया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय मे तीन माह के कारावास से दण्डित किया गया हैं जो कतई न्याय संगत नही होने से खारिज योग्य हैं।

(6) अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का के बयान पर आदेश पारित कर अपीलांट को तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया हैं। जबकि हल्का पटवारी के बयान पर अपीलांट को जिरह करने का मौका नही दिया गया हैं। हल्का पटवारी ने अपने बयान मे कथन किया हैं कि उनके द्वारा ग्राम सेवडा का चार्ज दिनांक 11–2–18 को लिया हैं। संवत 2074 खरीफ मे पदम सिह द्वारा काश्त की गई है। कैफियत मे आदतन अतिक्रमी हैं। वर्ष 2072 खरीफ, 2073 खरीफ मे भी नाजायज काश्त थीं। रकबा सीलिंग आराजीराज हैं। मौके पर पूछताछ करने पर पाया कि पदम सिंह द्वारा संवत 2074 मे नाजायज काश्त की थीं। उक्त बयान मात्र कयास एवं पूर्व रिर्पोट के आधार पर दिये गये पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18–2–18 को ग्राम सेवडा का चार्ज लिया गया। उससे पूर्व ही अपीलांट राजकीय भूमि का कब्जा छोड जा चुका हैं। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21–2–18 को भी रिर्पोट की हैं कि अपीलाधीन भूमि मौके पर खाली हैं। पटवारी हल्का द्वारा किसी के कहने पर बयान दिये हैं और पटवारी के बयान के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत ने बिना प्रकरण के तथ्यों पर घोर किये बिना किसी प्रकार की विस्तृत जॉच करवाये मात्र अपीलांट को दण्डित करने की मंशा से सरसरी तौर पर आदेश पारित करे अपीलांट को तीन माह के कारावास से दण्डित किया हैं जो किसी प्रकार से न्याय संगत नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट प्रस्तुत कर सादर निवेदन हैं कि आदेश दिनांक 30–8–17 एवं दिनांक 20–8–17 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाकर अपील मंजूर फरमाई जावें।

(7) इस अपील के रेस्पोडेंट राज्य को नोटिस किया गया जिस पर राज्य की ओर से पैरोकाराज उपस्थित आये अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड भी तलब करने पर दिनांक 2–4–2018 को न्यायालय में प्राप्त हुआ,जो शामिल मिसल कराया गया।

(8) हमने अन्तिम बहस सुनी । बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का सारगर्भित कथन है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा प्रश्नगत भूमि पर उसने कब्जा तथ्यों की भूल से किया है जो कि खाली कर दिया है जबकि अपीलान्ट ने मूलतः उक्त प्रकरण में उपस्थित होकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10–11–2017 को आवेदन प्रस्तुत करते हुए कब्जा हटाने तथा यह अंकित किया है कि उसके द्वारा राजकीय भूमि का कब्जा छोड दिया हैं एवं समस्त शास्ति खजानाराज जमा करा दी है। अतः उसके विरूद्ध धारा 22 की कार्यवाही समाप्त करने के आदेश फरमावें। इस प्रकार अपीलान्ट को प्रकरण में प्रारम्भ से लेकर प्रकरण प्रति प्रेषित होने तक सुनवाई के दौरान अनेक अवसर दिये गये है। अपील के विचारण के दौरान अपीलान्ट द्वारा स्थगन सम्बन्धी अन्तरिम आदेश दिनांक 14–03–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के निर्णय होने पर दिनांक 17.4.18 को अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं जिसमे न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.3.18 के विरूद्ध प्रार्थी ने राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष रिवीजन दायर की माननीय मंडल द्वारा दिनांक 12.4.18 को रिवीजन निस्तारित करते हुए आदेश

प्रदान किये गये कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर स्वतः स्पष्ट निर्णायक आदेश पारित करें तब तक सिविल कारावास की सजा को स्थगित रखा जावें। अपीलान्ट को फसल खरीफ संवत 2074 में पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 11/2017 में निर्णय दिनांक 30–8–2017 द्वारा शास्ति तथा 3 माह की सिविल कारावास अधिरोपित की है। प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया रिर्पोट पटवारी व आदेशिका दिनांक 30.8.17 के अनुसार गैर सायल ने सम्वत् 2073 में भी नाजायज काश्त की थी जिसमे पत्रावली स0 8/16 नि.दि. 13.10.16 से उसे अतिकमी घोषित करते हुए बेदखली, शास्ती व फसल नीलामी की कार्यावाही की गई थी तथा अतिकमी को दिनांक 22.5.17 को बेदखली किया गया तथा पटवारी कैफियत रिर्पोट मे सम्वत् 2072 खरीफ मे भी नाजायज काश्त की गई । अपीलान्ट राजकीय भूमि पर बार बार काश्त कर अतिकमण कर रहा है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीन माह दी गई सिविल कारावास तथा शास्ती उचित है। अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे नाजायत काश्त करने वाली भूमि पर उसका कोई स्वामित्व प्रमाणित होता हो । इस प्रकार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा स्वंय भी अतिकमण करना स्वीकार किया है।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः पारित निर्णय दिनांक 22–02–2018 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित हो ।

निर्णय आज दिनांक 09–05–2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(ए0एच0 गौरी)
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर